106

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. /2017 R 1112-I-17

1. बबलु शाह पुत्र श्री चूड़ामल सिंह जुदेव, निवासी– उमरधा तहसील बनखेड़ी जिला होशंगाबाद (म.प्र.)
2. गोलू यादव पुत्र श्री शेर सिंह यादव, निवासी– आलमपुर तहसील गैरतगंज जिला रायसेन (म.प्र.)

--आवेदकगण

विरूद्ध

म.प्र. शासन, द्वारा कलेक्टर नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.)

--अनावेदक

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गाडरवारा तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर, द्वारा प्रकरण क्रमांक 7/अ–67/2016–17 में पारित आदेश पारित दिनांक 02/03/2017 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः

1. यहकि, दिनांक 01/12/2016 को कार्यालय कलेक्टर (खनिज) होशंगाबाद म.प्र. द्वारा मेसस साईगन इन्फाटेक प्रा.लि. साईड ऑफिस ग्राम उमरधा को माईनिंग लीज शासकीय कार्य सड़क निर्माण हेतु दिनांक 31/01/2017 के लिये पत्र क्रमांक 924/खनिज/2016 द्वारा प्रदान की गयी थी। जिसका नवीनीकरण दिनांक 20/02/2017 को पत्र क्रमांक 165/खनिज/2017 द्वारा दिनांक 02/02/2017 से 14/04/2017 तक के लिये किया गया है।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1112-एक/17 **जिला** - नरसिंहपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15/02/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद भार्गव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के अंतिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतिम आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.04.2019 को आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर	